उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

पत्रांकः–परीक्षा/ 01 /2026–27 दिनांकः 01 अप्रैल, 2026

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या–71/उ०अ० से०च०आ०/2025 दिनांक 11.04.2025 के कम में सहकारी निरीक्षक वर्ग–02/सहायक विकास अधिकारी (सह0) के विज्ञापित पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक–16.11.2025 को आयोजित की गई।

उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख सन्निरीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की विज्ञप्ति पत्रांक–परीक्षा/301 /2025–26 दिनॉक 20–03–2026 को प्रकाशित की गई।

अवगत करना है कि यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार निर्धारित अवधि में अभिलेखों की सन्निरीक्षा के पश्चात कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सन्निरीक्षा निम्न कार्यकम के अनुसार आयोग कार्यालय में की जायेगीः–

–:अभिलेख सन्निरीक्षा हेतु निर्धारित कार्यकमः–

क0सं0	Serial No.	अभिलेख सन्निरीक्षा तिथि
01	1–69	06 अप्रैल, 2026 (सोमवार)

अतः औपबन्धिक रूप से चयनित उपरोक्त अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :–

1. जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की सन्निरीक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गये, की स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) व 06 पास–पोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि को प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. **अभिलेख सन्निरीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी आयोग कार्यालय में ली जाएगी, अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वैरीफिकेशन/उपस्थिति करवाना भी अनिवार्य है।**
3. ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अन्तर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकायें, प्रमाण पत्र एवं स्थाई निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. **आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
5. **सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा के समय विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
6. अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में एवं उसकी छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
7. अभिलेखों की सन्निरीक्षा **हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट)** एवं **अभिलेख सन्निरीक्षा में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश** पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो–दो प्रतियों (अलग–अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
8. अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। पृथक से किसी दशा में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
9. यदि सन्निरीक्षा की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
10. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

01.04.26

(डॉ0 शिव कुमार बरनवाल)
सचिव